पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 01अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 21.11.2023

दिनांक 20/21.11.2023 को रात्रि कृष्णानगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना इन्दिरानगर-दिनांक 21.11.2023 को थाना इन्दिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री बजरंग लाल श्रीवास्तव निवासी- राजीव नगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना इन्दिरानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 16.11.2023 को वादी के बैंक एकाउण्ट से दोबार में कुल 1,62,000/- रूपये की निकासी गलत ढंग से कर लिया गया। वादी ने जियो मार्ट से एक डबल बेड चादर का आर्डर दिया था लेकिन वादी को डिलीवरी चादर की न करके एक फ्लीस जैकेट का कर दिया गया। वादी ने जब कंपनी से संपर्क किया तो कस्टमर केयर के जरिए तो उनके आर्डर को रिटर्न में डाल दिया गया। जब कंपनी से एक व्यक्ति उक्त डिलवरी वापस लेने आया तो उसने यह कहकर ले जाने से इंकार कर दिया कि यह गलत माल डिलवर की समस्या है न कि क्वालिटी की और कस्टमर केयर से रिटर्न के आदेश में कुछ परिवर्तन कराने को कहा। वादी द्वारा कस्टमर केयर से संपर्क करने पर उसने ईमेल पर डिटेल भरने को कहा। इस वादी ने गूगल क्रोम से कंपनी की साइट खोलकर डिटेल भरने लगा तो देखा कि कस्टमर केयर का एक मो.न.- 6291126362 भी है, वादी ने जब उक्त नं. पर कॉल किया तो फोन उठाने वाले व्यक्ति द्वारा कहा गया कि वह वादी की पैसा रिफंड करा देगा और फार्मेट भरवाता गया जैसे ही वह फार्मेट भरकर पूरा हुआ वादी के एकाउण्ट से उपरोक्त रकम निकल गई। वादी द्वारा दुबारा कॉल करने पर फोन नही उठाया गया। **इस सूचना पर थाना इन्दिरानगर पर मु0अ0सं0- 397/2023 धारा- 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना मड़ियांव-दिनांक 21.11.2023 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि श्री हरेश सिंह पुत्र गोपाल सिह निवासी- प्रीतीनगर, थाना मड़ियांव लखनऊ द्वारा थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि उनके रिश्तेदार दीपक सिंह उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र चन्देश्वर सिंह निवासी प्रीतीनगर-2, थाना मड़ियांव लखनऊ ने आज दिनांक 20.11.2023 को समय करीब 15.00 बजे को अपने उक्त घर के कमरे लगे पंखे से गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री सफतउल्ला खान मो0नं0- 7080292786 थाना मड़ियांव द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक दीपक सिंह उपरोक्त के 02 बच्चे है। मृतक ठेकेदारी करता था।

थाना सआादतगंज-दिनांक 21.11.2023 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि श्री रामलखन कश्यप पुत्र स्व0 गंगादीन कश्यप निवासी- 374/64 पुरानी घियाई थाना सआदतगंज लखनऊ द्वारा थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि वह कल दिनांक 20.11.2023 को अपनी पत्नी व पुत्री के साथ रनीपारा थाना माल लखनऊ एक निमंत्रण में गए थे एवं उनकी माता जी श्रीमती श्यामा देवी उम्र करीब 70 वर्ष घर पर अकेली थी, जो कि मानसिक रूप से बीमार थी। वह निमंत्रण से आज दिनांक 21.11.2023 को जब अपने घर आया तो देखा कि घर का दरवाजा बंद है खिड़की से अंदर देखने पर देखा कि उनकी माता जी जली हुई अवस्था में फर्श पर पड़ी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अजय कुमार चौरसिया मो0नं0-7355089576 थाना सआदतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतका श्यामा देवी उपरोक्त के दो पुत्र है।

थाना गाजीपुर-दिनांक 21.11.2023 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वादी श्री दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र श्री त्रियोगी नारायण मिश्रा निवासी इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि वादी की शॉप आदिती आप्टिकल यू.जी.एफ. 8 चन्द्रकला ट्रेंड सेंटर नियर जैन मंदिर इन्दिरानगर लखनऊ में है। दिनांक 18.11.2023 को समय करीब 19.00 बजे वादी ने अपनी स्कूटी अपनी दुकान के सामने खडी किया था । जिसे किसी अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 18.11.2023 को समय करीब 20.00 बजे चोरी कर लिया गया है, स्कूटी में वादी के जरूरी कागजात भी थे। **इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0- 484/2023 धारा- 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**